

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०११

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०११

[दिनांक २९ अप्रैल, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ४ मई, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०११ है.

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनु- क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारिता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
४.	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, इन्दौर.	देवी शकुंतला ठकराल चेरिटेबल फाउंडेशन, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय सांवेर रोड, रेवती रैंज के सामने, जखया, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
५.	पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल.	सार्वजनिक जनकल्याण पारमार्थिक न्यास, भोपाल.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	पीपुल्स विश्वविद्यालय, पीपुल्स ग्रुप, बाय-पास रोड, भानपुर, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
६.	आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	समता लोक संस्थान ट्रस्ट ग्वालियर.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधि- नियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, परिसर, एन.एच.७५ झांसी रोड, सिंथौली ग्वालियर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4 मई 2011

क्र. 2775-172-इक्कोस-अ(प्रा.).-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, 2011 (क्रमांक 18 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 18 OF 2011

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSKODHAN ADHINIYAM, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 29th April, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 4th May, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam, 2011. Short title.

2. In the Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 3 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :— Amendment of Schedule.

Serial No.	Name of Private University	Name of Sponsoring body	Mode of forming Sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"4.	Oriental University, Indore.	Devi Shakuntala Thakral Charitable Foundation, Bhopal.	Registered Society under the M.P. Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Oriental University Sanwer Road, Opposite Rewati Range, Jakhya, Indore.	Whole of Madhya Pradesh.
5.	People's University, Bhopal.	Sarvjanik Jankalyan Parmarthik Nyas, Bhopal.	Registered Public Trust under the M. P. Public Trust Act, 1951 (No. 30 of 1951).	People's University, People's Group, By-pass Road, Bhanpur, Bhopal.	Whole of Madhya Pradesh.
6.	ITM University, Gwalior	Samta Lok Sansthan Trust, Gwalior	Registered Society under the M.P. Society Registrikaran adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	ITM University, Campus, NH-75, Jhansi Road, Sinthouli, Gwalior (M.P.)	Whole of Madhya Pradesh."